दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

(ऊर्जा भवन, 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सिकन्दरा, बाई पास रोड, आगरा-282007)

CIN: U31200UP2003SGC027460 | **E-mail:** gstdvvnl@gmail.com | **GSTIN: 09AACCD0695D1ZS**

पत्रांक : /द0वि0वि0नि0लि0/आगरा/जीएसटी

दिनांक /04/2018

मुख्य अभियन्ता (वि0)/(सामग्री प्रबन्ध–I/II)
(तकनीकि)/(वाणिज्य)/(जानपद),
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
आगरा/आगरा–द्वितीय/अलीगढ़/कानपुर/झाँसी/बाँदा।

अधीक्षण अभियन्ता (भण्डार)/
अधिशासी अभियन्ता (विद्युत भण्डार खण्ड)
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
आगरा/अलीगढ़/कानपुर/झाँसी/बांदा।

विषय :– डिपोजिट आधार पर प्राप्त धनराशि जमा कराये जाने एवं एल0डी0(पेनाल्टी) के सम्बन्ध में जीएसटी सम्बन्धी दिशा–निर्देश ।

अवगत कराना है कि उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 के पत्र संख्या 08/उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सैल/2018 दिनांक 23.02.2018 के क्रम में द0वि0वि0नि0लि0 के पत्रांक **6145/द0वि0वि0नि0लि0/आगरा/जी0एस0टी0 दिनांक 28.03.2018** द्वारा डिपोजिट आधार पर किये जाने वाले कार्य एवं अन्य मामलों पर जी0एस0टी0 सम्बन्धी दिशा–निर्देश जारी किये गये थे, उक्त पत्र में डिपोजिट के कार्यो पर उपभोक्ताओं से निर्धारित दर से (वर्तमान दर 18%) जी0एस0टी0 की धनराशि भी प्राप्त किये जाने का निर्देश दिया गया था, किन्तु पूर्व में डिपोजिट के कार्यो पर प्राप्त समस्त धनराशि सीधे मुख्यालय स्तर पर संचालित खातों में सीधे जमा कराये जाने हेतु द0वि0वि0नि0लि0 के पत्रांक **5276/प्र0नि0/द0वि0वि0नि0लि0/आ0/वित्त एवं लेखा दिनांक 12.09.2017** द्वारा आदेशित किया गया था, चूँकि डिपोजिट आधार पर द0वि0वि0नि0लि0 के विभिन्न इकाईयों/खण्डों के अर्न्तगत कार्य कराये जाते है। अतः उस पर उपभोक्ताओं से जी0एस0टी0 वसूल करना तथा जी0एस0टी0 जमा कराने का दायित्व सम्बन्धित इकाई/खण्ड का होता है।

अतः इस सम्बन्ध में आदेशित किया जाता है कि डिपोजिट के कार्यो पर प्राप्त/वसूल की गयी जी0एस0टी0 की धनराशि को सम्बन्धित इकाई/खण्ड द्वारा अपने पास रोकते हुये, डिपोजिट की बाकी धनराशि को सीधे मुख्यालय के खाते में जमा की जाये तथा अपने पास रोकी गयी जी0एस0टी0 की धनराशि को अपने Expenditure Account में जमा करा लें तथा उक्त रोकी गयी जी0एस0टी0 की धनराशि को सरकारी कोष में जमा कराने के लिए **पत्रांक 5713/द0वि0वि0नि0लि0/आगरा/जी0एस0टी दिनांक 22.12.2017** का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें इकाईयों/खण्डों द्वारा जी0एस0टी0 प्रकोष्ठ को निर्धारित प्रारूप में सूचनाऐं भरकर अगले माह की 3 तारीख तक प्रेषित करना, जी0एस0टी0 प्रकोष्ठ से चालान प्राप्त कर उसे निर्धारित तारीख तक (10 तारीख तक) बैंक में जमा कराने एवं तत्पश्चात् बैंक से प्राप्त पावती को जी0एस0टी0 प्रकोष्ठ की ई–मेल gstdvvnl@gmail.com पर प्रेषित करने हेतु दिशा–निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त विलम्ब से की गई सप्लाई पर एल0डी0(पेनाल्टी) के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इकाईयों/खण्डों द्वारा पेनाल्टी (एल0डी0) के नाम पर धनराशि रोक ली जाती है जो कि वास्तव में उस समय निगम की आय नहीं होती है तथा बाद में कार्य की अवधि विस्तारित (Extension) होने पर रोकी गयी धनराशि का भुगतान कर दिया जाता है। अतः रोकी गयी धनराशि जब तक अन्तिम रूप से एल0डी0(पेनाल्टी) में परिवर्तित ना हो जाये तब तक वो निगम की आय नहीं मानी जायेगी। अतः अन्तिम निर्णय ना होने तक रोकी गयी धनराशि को लेखाशीर्ष 46.104 अथवा 46.2 के अन्तर्गत लेखांकन किया जाये, इसे लेखाशीर्ष 62.917 में ना लिया जाये। जब अन्तिम रूप से एल0डी0(पेनाल्टी) निर्धारित हो जाये तभी लेखाशीर्ष 62.917 में लेखांकन किया जाये तथा पत्रांक **6145/द0वि0वि0नि0लि0/आगरा/जी0एस0टी0 दिनांक 28.03.2018** के तारतम्य में जी0एस0टी0 टैक्स इनवॉइस जारी करना इत्यादि जी0एस0टी0 सम्बन्धी अन्य औपचारिकताऐं पूरी की जायें।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन कराना/करना सुनिश्चित करें।

(के0सी0 पाण्डेय)
निदेशक (वित्त)

पत्रांक 6201 /द0वि0वि0नि0लि0/आगरा/जीएसटी/दिनांक 13 /04/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक (तकनीकी/वाणिज्य/का0प्र0 एवं प्रशा0), द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।
2. उप महाप्रबन्धक (लेखा)/उपमुख्य लेखाधिकारी, क्षे0ले0का0, द0वि0वि0नि0लि0, आगरा/आगरा–द्वितीय/अलीगढ़/कानपुर/झांसी/बांदा को इस आशय से प्रेषित है कि वे अपने स्तर से अनुश्रवण कर इसका पालन कराना सुनिश्चित करें।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, द0वि0वि0नि0लि0।
4. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, द0वि0वि0नि0लि0।

(के0सी0 पाण्डेय)
निदेशक (वित्त)

Scanned by CamScanner